को स्वयं हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मान
एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के
शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा
गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा कि जाते
वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आ
तामील की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्य
को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (
प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अन्यथा अंतरिम
को आईन्दा तारीख पेशी तक निस्तारित करने से
न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों
प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अंतरिम अ
निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा
संशोधित/ वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को ज
रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 18.
2019 को पेश हो।

Reg A/. नोटिस
1023
23/10/19

सहायक कल
आमेर मु0 ज

18-11-19 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलो
किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी व
न्यायालय के आदेशानुसार अ
तिथि तक अप्रार्थी की तलबी है
ना. तो तामील प्राप्त किये एवं नहीं
तामील की तामील करवाकर
रजिस्टर्ड की रसीद पेश की है।
अतः प्र.पत्र 0-9-R-5 CPC के
तहत प्र.पत्र खारिज किया जाता है।
पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजि
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Juhi Bhargava
Date: 2019.11.20 11:16:17 IST
Reason: SelfAttested